

क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में (MOU)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। ग्राम मलारी में खसरा नम्बर 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367 एवं 1368 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


जिलाधिकारी,
चमोली
जिलाधिकारी
चमोली